प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 01.06.2025

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 01.06.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 04 अभियुक्त 1. बिलाल पुत्र हामिद निवासी मौहल्ला इकराम नगर लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष 2. इरशाद पुत्र इमामुद्दीन निवासी- 100 फुटा रोड 02 नंबर आर्य नगर लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष 3. रजीम पुत्र मौहम्मद आसिम हाल निवासी ग्राम दौलतनगर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष 4. समद पुत्र अली शेर निवासी चमनपार्क गली नंबर-03 मुस्तफाबाद दिल्ली उम्र करीब 21 वर्ष को चौकी क्षेत्र पुस्ता से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम एक-दूसरे को काफी साल से जानते हैं हमने मिलकर वाहन चोरी की घटना कारित करने जैसे अपराध कारित किये हैं जिसमें हम पूर्व में जेल भी जा चुके हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. बिलाल पुत्र हामिद निवासी मौहल्ला इकराम नगर लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।
2. इरशाद पुत्र इमामुद्दीन निवासी- 100 फुटा रोड 02 नंबर आर्य नगर लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष।
3. रजीम पुत्र मौहम्मद आसिम हाल निवासी ग्राम दौलतनगर ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष।
4. समद पुत्र अली शेर निवासी चमनपार्क गली नंबर-03 मुस्तफाबाद दिल्ली उम्र करीब 21 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त बिलाल के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर चोरी के 10 अभियोग व गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है। (कुल अभियोग- 11)

अभियुक्त इरशाद के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर चोरी के 10 अभियोग व गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है। (कुल अभियोग- 11)

अभियुक्त रजीम के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर चोरी के 11 अभियोग व गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है। (कुल अभियोग- 12)

अभियुक्त समद के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर चोरी के 10 अभियोग व गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है। (कुल अभियोग- 11)

अन्य आपराधिक इतिहास की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

ट्रांस हिंडन जोन पुलिस द्वारा एंटी चीयर्स अभियान के तहत सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों की चेकिंग का सघन अभियान चलाया गया।

दिनांक 31.05.2025 को शाम 07:00 बजे से लेकर 10:00 बजे तक ट्रांस हिंडन जोन, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थाना क्षेत्रों में एंटी चीयर्स अभियान के तहत शराब ठेकों के आस पास व सड़क के किनारे अवैध रूप से लगी दुकानों, ठेली-ठपरी व सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों की चेकिंग का एक सघन अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस टीम द्वारा 43 स्थानों पर चेकिंग कर 762 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा सार्वजनिक रूप से खुलेआम सड़क पर शराब का सेवन करने वाले 187 व्यक्तियों के विरुद्ध 34 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान तथा 75 वाहनों के अन्तर्गत एमवी एक्ट चालान किये गये। इस अभियान के अंतर्गत ट्रांस हिंडन जोन के समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की गई।

थानावार कृत कार्यवाही की स्थिति निम्नवत है –

क्र0सं0	नाम थाना	कितने व्यक्तियो के विरुद्ध कार्यवाही की गई	चालान/सीज किये गये वाहनों की सं0
1	इन्दिरापुरम	38	8
2	खोडा	25	15
3	कौशाम्बी	22	14
4	साहिबाबाद	27	5
5	लिंक रोड	20	5
6	शालीमार गार्डन	19	6
7	टीला मोड	36	22
	कुल योग	**187**	**75**

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 01.06.2025 को थाना टीला मोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वाँछित अभियुक्त लकी उर्फ लक्की वर्मा पुत्र सुभाष वर्मा निवासी डी 212 गढीमेन्ड्र भजनपुरा थाना भजनपुरा दिल्ली हाल पता 186/105 नियर हैप्पी टाईम पब्लिक स्कूल भजनपुरा दिल्ली उम्र करीब 32 वर्ष को थाना टीला मोड़ क्षेत्रान्तर्गत फारुखनगर बाई पास रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त लकी उर्फ लक्की वर्मा के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त लकी उर्फ लक्की वर्मा से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त लकी उर्फ लक्की वर्मा अपने साथियों के साथ लूट / छीनैती / वाहन चोरी करने जैसे जघन्य अपराध की घटनाओं को कारित कर अवैध रुप से धन अर्जित करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

लकी उर्फ लक्की वर्मा पुत्र सुभाष वर्मा निवासी डी 212 गढीमेन्डू भजनपुरा थाना भजनपुरा दिल्ली हाल पता 186/105 नियर हैप्पी टाईम पब्लिक स्कूल भजनपुरा दिल्ली उम्र करीब 32 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- गिरफ्तार अभियुक्त लकी उर्फ लक्की वर्मा के विरुद्ध जनपद गाजियाबाद के भिन्न- भिन्न थानों पर लूट, छीनैती, चोरी, आपराधिक षडयंत्र, चोरी का माल बरामदगी के कुल 09 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।

सहायक पुलिस आयुक्त, शालीमार गार्डन व थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा सर्च एंव रेस्क्यू अभियान के अन्तर्गत चैकिंग के दौरान देह व्यापार के अनैतिक कार्य में संलिप्त 03 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को 03 मोबाइल फोन व आपत्तिजनक साम्रगी सहित गिरफ्तार किया गया, व मौके से 03 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया।

दिनांक 31.05.2025 को सहायक पुलिस आयुक्त, शालीमार गार्डन को मुखबिर के जरिये सूचना प्राप्त हुई कि प्लांट सी - 03 विक्रम इन्कलेव थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद में ग्राउंड फ्लोर पर देह व्यापार का अनैतिक कार्य किया जा रहा है। जिसमें महिलाओं को बहला फुसलाकर देह व्यापार कराया जा रहा है। तत्काल सहायक पुलिस आयुक्त, शालीमार गार्डन मय पुलिस बल प्लांट सी - 03 विक्रम इन्कलेव थाना शालीमार गार्डन में ग्राउंड फ्लोर पर देह व्यापार कराये जाने में संलिप्त 03 अभियुक्त 1. हनी ठाकुर पुत्र श्री अजीत सिंह निवासी ब्लॉक 05 इन्द्रप्रस्थ कालोनी टीला शहबाजपुर थाना टीला मोड़ उम्र करीब 21 वर्ष, 2. राकेश पुत्र श्री ओमपाल निवासी म0नं0 161 सोनिया विहार गलीं नं0 11 बी ब्लॉक नियर हर्दन स्कूल थाना सोनिया विहार दिल्ली उम्र करीब 33 वर्ष, 3. मिन्टू पुत्र श्री माड़ूराम निवासी ग्राम नायन पोस्ट थनवास तहसील नांगल चौधरी थाना नांगल चौधरी जनपद महेन्द्रगढ़, हरियाणा उम्र करीब 35 वर्ष व 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 03 मोबाइल फोन व आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। 03 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता द्वारा बहला फुसलाकर 03 महिलाओं से जबरन देह व्यापार कराया जा रहा था, जिनको रेस्क्यू किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों व अभियुक्ता के विरुद्ध धारा 3/4/5/6 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण - पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्ता उक्त मकान की मालकिन है, जिसमें अभियुक्ता द्वारा पीड़ित महिलाओं को बहला फुसलाकर देह व्यापार में अच्छा लाभ कमाने का लालच देकर ग्राहकों को स्वंय सम्पर्क कर तथा उनकी आपत्तिजनक फोटों व वीडियों बनाकर व उन्हें वायरल करने की धमकी देकर देह व्यापार कराया जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

1. हनी ठाकुर पुत्र श्री अजीत सिंह निवासी ब्लॉक 05 इन्द्रप्रस्थ कालोनी टीला शहबाजपुर थाना टीला मोड़ उम्र करीब 21 वर्ष।

2. राकेश पुत्र श्री ओमपाल निवासी म0नं0 161 सोनिया विहार गलीं नं0 11 बी ब्लॉक नियर हर्दन स्कूल थाना सोनिया विहार दिल्ली उम्र करीब 33 वर्ष।

3. मिन्टू पुत्र श्री माडूराम निवासी ग्राम नायन पोस्ट थनवास तहसील नांगल चौधरी थाना नांगल चौधरी जनपद महेन्द्रगढ़, हरियाणा उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

- 03 मोबाइल फोन व आपत्तिजनक साम्रगी बरामद।

अभियुक्तगण / अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास-

- गिरफ्तार अभियुक्तों व अभियुक्ता के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर अनैतिक देह व्यापार का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

सहायक पुलिस आयुक्त, शालीमार गार्डन व थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

हत्या व अवैध हथियार रखने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की गयी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही

श्रीमान पुलिस उपायुक्त नगर जोन, कमिश्नेरट गाजियाबाद श्री धवल जयसवाल के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नन्दग्राम पर समाज विरोधी क्रियाकलापो में लिप्त 03 शातिर अभियुक्तो के विरुद्ध 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधि0 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त कार्यवाही से अपराध व आपराधिक गतिविधियों में अकुंश लगेगा।

हत्या व अवैध हथियार रख अनुचित तरीके से धनोपार्जन करने वाले उक्त गिरोह के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर मु0अ0सं0 376/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधि0 1986 बनाम निम्नोत्त पंजीकृत कराया गया व इनके अवैध क्रिया कलापो से अर्जित की गयी सम्पूर्ण सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

क्र0 सं0	अभियुक्त का नाम व पता	पंजीकृत गैंग	कुल पंजीकृत अभियोगो की संख्या
1	अनुज गौतम उर्फ बाबा पुत्र सोनू निवासी ग्राम हींगवारा थाना बी०बी० नगर जिला बुलन्दशहर हाल निवासी 1/4, 4 सी कांशीराम आवास योजना थाना मधुबन बापूधाम कमि0 गाजियाबाद उम्र- 23 वर्ष। (गिरफ्तार)	हत्या जैसे अपराधों से संबंधित डी-356/2025	2

2	अरूण पुत्र ब्रजेश निवासी मो0 टांडा गली न0-03 शनि मन्दिर के पास थाना कोतवाली नगर जिला बुलन्दशहर हाल निवासी म0न0-एफ-6/2 ग्राउन्ड फ्लोर मधुबन बापूधाम थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष	हत्या जैसे अपराधों से संबंधित डी-356/2025	2
3	नितिन पुत्र ब्रजेश निवासी मो0 टांडा गली न0-03 शनि मन्दिर के पास थाना कोतवाली नगर जिला बुलन्दशहर हाल निवासी म0न0-एफ-6/2 ग्राउन्ड फ्लोर मधुबन बापूधाम थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष	हत्या जैसे अपराधों से संबंधित डी-356/2025	1

लूट करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की गयी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस उपायुक्त नगर जोन, कमि0 गाजियाबाद श्री धवल जयसवाल के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराध नियंत्रण हेतु थाना सिहानीगेट पर समाज विरोधी क्रियाकलापो में लिप्त 04 शातिर अभियुक्तो के विरुद्ध 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवंम समाज विरोधी क्रिया कलापो (निवारण) अधि0 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त कार्यवाही से अपराध व आपराधिक गतिविधियों में अकुंश लगेगा।
लूट की घटनाएं कारित कर अनुचित तरीके से धनोपार्जन करने वाले उक्त गिरोह के विरुद्ध थाना सिहानीगेट पर मु0अ0सं0 0186/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलापो (निवारण) अधि0 1986 बनाम निम्नोत्त पंजीकृत कराया गया व इनके अवैध क्रिया कलापो से अर्जित की गयी सम्पूर्ण सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

क्र0सं0	**अभियुक्त का नाम व पता**	**पंजीकृत गैंग**	**कुल पंजीकृत अभियोगो की संख्या**
1	इकराम पुत्र अकबर नि0- ग्राम सेमली थाना कोतवाली देहात जिला बुलन्दशहर हाल पता नई बस्ती एक मिनार मस्जिद के पास कस्बा व थाना दादरी जिला गौतमबुद्ध नगर उम्र 44 वर्ष	लूट जैसे अपराधों से संबंधित डी – 360/2025	4
2	नावेद पुत्र रशीद नि0- काला आम चौराहा के पास थाना कोतवाली नगर जिला बु0शहर उम्र 53 वर्ष	लूट जैसे अपराधों से संबंधित डी – 360/2025	2

3	बिजेन्द्र पुत्र छज्जू सिंह नि0- उटरावली थाना कोतवाली देहात बु0शहर उम्र 58 वर्ष	लूट जैसे अपराधों से संबंधित डी – 360/2025	4
4	गुलफाम पुत्र गुल्लन खाँ नि0- बहलीमपुरा थाना कोतवाली नगर जिला बु0शहर उम्र 45 वर्ष	लूट जैसे अपराधों से संबंधित डी – 360/2025	4

अपराधियों पर नजर रखने एवं उनकी निगरानी के सम्बन्ध में

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा अपराध के रोकथाम और आपराधिक संवेदनशीलता की पहल के तहत आज दिनांक 01.06.2025 दिन रविवार को कमिश्नरेट के सभी थानों में **कुल 1886** अपराधियों को **BPO** (बीट पुलिस ऑफिसर) के माध्यम से तलब किया गया। यथा- हिस्ट्रीशीटर, सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों जैसे- लूट,डकैती,स्नैचिंग, चोरी, नकबजनी, वाहन चोरी आदि के विगत 10 साल के अपराधी, जुआ-सट्टा, अवैध शराब, गौकशी व एन0डी0पी0एस0 के अपराधों में संलिप्त अपराधी, पंजीकृत गैंग के सदस्य उपस्थित हुए। सभी अपराधियों की प्रोफाइल तैयार करते हुए उनकी वर्तमान स्थिति का सत्यापन, गतिविधि आदि पता करते हुए डोजियर तैयार किया गया तथा पुनः अपराध न करने की सख्त चेतावनी देते हुए शपथ दिलायी गयी। सभी अपराधियों ने भविष्य में अपराध से विमुक्त रहने का वचन लिया।

कमिश्नरेट गाजियाबाद के थानों पर आयोजित गोष्ठी में सम्मिलित संख्यात्मक अपराधियो का विवरण:-

क्र0सं0	थाना	संख्या
1	कोतवाली नगर	44
2	विजयनगर	85
3	सिहानीगेट	46
4	नन्दग्राम	74
5	बापूधाम	25
6	कविनगर	35

योग नगर जोन		**309**
7	इन्दिरापुरम	50
8	कौशांबी	25
9	साहिबाबाद	80
10	लिंक रोड	60
11	टीला मोड़	65
12	शालीमार गार्डन	40
13	खोड़ा	60
योग ट्रांस हिंडन जोन		**380**
14	लोनी बॉर्डर	41
15	अंकुर विहार	35
16	लोनी	295
17	ट्रोनिका सिटी	68
18	मसूरी	134
19	मुरादनगर	85
20	मोदीनगर	195
21	भोजपुर	170
22	निवाड़ी	42
23	वेव सिटी	87
24	क्रॉसिंग रिपब्लिक	45
योग ग्रामीण जोन		**1197**
कुल योग		**1886**